

This question paper contains 16+4 printed pages]

Your Roll No.

5859

LL.B./VI Term

C

Paper LB-601 : PROFESSIONAL ETHICS, PLEADINGS,
CONVEYANCING AND MOOT COURTS

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note :— Answers may be written *either* in English *or* in Hindi;
but the same medium should be used throughout the
paper.

टिप्पणी :— इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक
भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही
होना चाहिए ।

Attempt *Five* questions in all, selecting at

least *one* question from each Part.

All questions carry equal marks.

प्रत्येक भाग से कम-से-कम एक प्रश्न चुनते हुए

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

P.T.O.

Part A

(भाग 'अ')

1. (a) "An Advocate shall, at all times, comport himself in a manner befitting his status as an officer of the court, a privileged member of that community; and a gentleman, bearing in mind the what may be lawful and a moral for a person who is not a member of the Bar or for a member of the Bar in his non-professional capacity, may still be improper for an Advocate." Discuss.
- (b) "Unfortunately strikes and boycott calls are becoming a frequent spectacle. Strikes, boycott calls and even

unruly and unbecoming conduct are becoming a frequent spectacle. On the slightest pretence strikes and/or boycott calls are resorted to. The Judicial system is being held to ransom. Administration of law and justice is threatened. The rule of law is undermined." Discuss this proposition in the light of judicial approach to the question whether lawyers have a right to strike and/or give a call for boycott of the Courts.

- (क) "एक वकील को न्यायालय के एक अधिकारी की तरह उसके पद के अनुरूप आचरण करने को

बाध्य है, समाज का एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य एवं भद्रपुरुष जो अपने दिमाग में हमेशा रखे कि क्या न्यायपूर्ण एवं नैतिक होगा उस व्यक्ति के लिए जो कि बार का सदस्य नहीं है या गैर-व्यावसायिक क्षमता से वकील ऐसा व्यवहार करे जो कि बार के सदस्य के लिए सही नहीं है।" विवेचना कीजिए।

(ख) दुर्भाग्य से हड़ताल एवं बहिष्कार का आह्वान एक हररोज का तमाशा बन गई है। हड़ताल एवं बहिष्कार का आह्वान और बेलगाम तथा अशोभनीय व्यवहार बराबर का तमाशा बन गया है। थोड़ा-सा प्रदर्शन, हड़ताल तथा/या बहिष्कार को जारी रखा जाता है।

न्याय प्रणाली को अपने इशारे पर नचाया जा रहा

है। विधि एवं न्याय प्रशासन को धमकाया जा रहा

है। विधि के नियम को दुर्बल बना दिया है।

उपर्युक्त प्रस्ताव को न्यायाधिक सदृश के प्रकाश में

क्या वकीलों/अधिवक्ताओं को हड़ताल का अधिकार

या न्यायालयों के बहिष्कार के आह्वान का अधिकार

है।

2. (a) Discuss with the help of decided cases whether an advocate has lien on the files entrusted to him by the client.

- (b) "An advocate may be a law teacher while practicing but a full time law teacher cannot be an advocate."

Discuss with the help of case law.

- (क) विनिर्णीत वादों की सहायता से निर्णय कीजिए कि

क्या अधिवक्ता को मुबक्कल द्वारा सुपुर्द दस्तावेजों

पर ग्रहणाधिकार है।

- (ख) "एक अधिवक्ता एक विधि अध्यापक हो सकता है

जबकि पूरा कालिक विधि अध्यापक अधिवक्ता नहीं

हो सकता।" विनिर्णीत वादों की सहायता से विवेचित

कीजिए।

Part B

(भाग 'ब')

3. Mrs ABC Ltd., a company constituted under the Companies Act having its registered at New Delhi had an agreement with 'Suresh Jain, resident of Delhi for construction of a building for Suresh as per specification and site plan on plot Delhi with material and labour charges for Rs. fifty lacs. An advance of Rs. 20 lacs was given by Suresh to Company and rest of the amount was to be paid at the completion of the entire work. The work was completed within the fixed time of one year and possession was given

by the company to Suresh after completion and Suresh gave a cheque of Rs. 30 lacs to the builder company, but the cheque was dishonoured. Draft a plaint under Order XXXVII of C.P.C. for a recovery suit. The cheque dated 01-09-2012 was dishonoured on 07-12-2012 by the bank, in Delhi, for no funds.

मै. ABC लि., एक कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गई, जिसका पंजीकृत दफ्तर नई दिल्ली स्थित है, दिल्ली निवासी सुरेश जैन के साथ 50 लाख में रुपये में विशिष्टीकरण एवं दिये गए साइट प्लान के हिसाब से प्लॉट पर माल एवं श्रम देय मिलाकर एक

भवन निर्माण का करार होता है। सुरेश के द्वारा कम्पनी को 20 लाख पूर्व नकद भुगतान किया गया तथा बाकी रकम निर्माण का सम्पूर्ण कार्य पूरा होने के पश्चात् देने का बायदा किया। एक साल तय सीमा के भीतर ही निर्माण कार्य पूरा करके कम्पनी ने भवन का कब्जा सुरेश को दे दिया। इसके बदले सुरेश ने 30 लाख रुपए का चेक निर्माण कम्पनी को दिया परन्तु चेक को अस्वीकृत कर दिया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर न. XXXVII के अन्तर्गत वसूली दावे का एक वादपत्र तैयार कीजिए। चेक दिनांकित 01-09-2012, बैंक द्वारा 07-12-2012 को बैंक द्वारा कोई फंड न होने पर अस्वीकृत किया गया।

4. A marriage between Rashi and Sameer was solemnised on 27-03-2011 at Delhi according to Hindu rites and ceremonies.

The Parties to the marriage do not find their temperament compatible to carry on the bond of marriage. They have mutually decided to have divorce. They have agreed that they have no dispute with regard to maintenance or any money or belongings etc. Draft a petition for dissolution of their marriage by a decree of divorce by mutual consent with necessary affidavits.

राशि एवं समीर की शादी हिन्दू रीति-रिवाजों एक परम्परा से 27-03-2011 को सम्पन्न हुई। विवाह के पक्षकारों ने पाया कि उनके मिजाज शादी के बन्धन को चलाने के अनुकूल

नहीं है। उन्होंने पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद का निर्णय किया। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि वे भरण-पोषण या कोई धनराशि या अन्य सम्पत्ति इत्यादि का कोई वाद झगड़ा नहीं होगा। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए एक जरूरी शपथपत्रों को देते हुए विवाह-विच्छेद की अर्जी तैयार कीजिए।

5. (a) Sarika and her minor daughter Neha were deserted by husband Rahul who has also refused to spare any money for their maintenance. Sarika engages you for seeking maintenance for herself and Neha from Rahul. Draft an application for maintenance u/s 125 Cr.P.C.
- (b) Draft an anticipatory bail application when Aarush, husband approaches you for the same when his wife,

Swati had filed the complaint and a case has been registered vide FIR No. 53/2013 dated 01-03-2013 in Civil Lines Police Station, u/s 498-A/406 IPC, 1860 for alleged maltreatment by husband of wife for not bringing the dowry and misappropriation of her Streedhan.

(क) सारिका और उसकी अवयस्क बेटी नेहा को उसके पति द्वारा बिना किसी भरण-पोषण दिए अवित्याजित कर दिया। सारिका ने राहुल को अपने तथा अपनी बेटी के भरण-पोषण वाद के लिए आपको वचनबद्ध किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण-पोषण का प्रार्थना-पत्र तैयार कीजिए।

(ख) अग्रिम जमानत की एक अर्जी तैयार कीजिए जबकि आरूष, स्वाति का पति आपके पास पहुँचता है, उसकी पत्नी स्वाति ने उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498A/406 के अन्तर्गत उसके पति द्वारा दुर्व्यवहार तथा दहेज न लाने एवं उसके स्त्रीधन के गबन का आरोप लगाते हुए सिविल लाईन्स पुलिस स्टेशन में 01-03-2013 को प्रथमदृष्ट्या प्रतिवेदन संख्या 53/2013 की शिकायत दर्ज करवायी तथा उसी के आधार पर वाद को पंजीकृत किया गया।

Part C

(भाग 'स')

6. (a) Munshi Ram, a widower, has two sons Abhay and Karan and a married daughter Seema. Abhay and his

employed wife used to contribute to his family more than Karan who of course had been properly looking after Munshi Ram. Munshi Ram has a self acquired house on a land measuring 500 Sq. metres with three constructed floors and one insurance policy of 10 lakhs rupees.

Munshi Ram approaches you for making his will giving two floors of his house to Abhay and one floor (ground) to Karan and insurance policy of 10 lakhs rupees to Seema.

Draft his will.

- (b) Draft a general power of attorney by Ankita Aggrawal, w/o Late Sh. Prem Aggrawal of 30 Vivek

Vihar, Shahdara, Delhi in favour of his son Harsh in respect of her business of readymade garments and house No. 30 Vivek Vihar, Shahdara, Delhi covering all clauses to deal with business and property including its sale, file and defend cases, transfer of all kinds.

(क) मुंशीराम, एक विधुर, जिसके दो बेटे अभय एवं करण हैं तथा एक विवाहित बेटी सीमा हैं। अभय एवं उसकी कार्यरत पत्नी घर की देखभाल में करण, से ज्यादा अंशदान देते हैं, जबकि करण मुंशीराम की सेवा करता है। मुंशीराम का 300 स्क्वेयर मीटर में तीन मंजिला स्वयं अर्जित घर है तथा एक दस लाख रुपए की बीमा पॉलिसी है।

मुंशीराम आपके पास एक वसीयत बनवाने के लिए आता है जिसमें वह चाहता है कि दो तल अभय को एवं एक तल (तलस्थ) करण को तथा बीमा पॉलिसी सीमा को दे।

उसके लिए वसीयत तैयार कीजिए।

(ख) अंकिता अग्रवाल w/o स्व. श्रीमान प्रेम अग्रवाल, निवासी 30, विवेक विहार, शहादरा, दिल्ली के लिए उसके बेटे हर्ष के पक्ष में उसके तैयार वस्त्र व्यवसाय एवं मकान नं. 30, विवेक विहार के सन्दर्भ में व्यवसाय एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का क्रय, वाद दाखिल एवं बचाव, सभी प्रकार के अन्तरणों को सम्मिलित करते हुए सामान्य मुख्तयारनामा तैयार कीजिए।

7. (a) Draft a relinquishment deed for Kanika daughter of Sanjay Mahajan. r/o Delhi, in favour of his brother Puneet, s/o Sanjay Mahajan, both residing in Delhi in respect of property in Delhi, left by their father and both having 1/2 share each with all usual clauses as per requirements of law.

(b) Discuss the essential components of conveyancing deed.

(क) कनिका सुपुत्री श्री संजय महाजन और उसके भाई पुनीत सुपुत्र संजय महाजन निवासी दिल्ली, के लिए, दिल्ली स्थित सम्पत्ति जो उनके पिता जी द्वारा छोड़ी गयी है जिसमें उन दोनों का आधा-आधा हिस्सा विधि के हिसाब से बनता है, एक त्याग विलेख तैयार कीजिए।

(ख) हस्तांतरण विलेख के मुख्य तत्वों का विवेचन कीजिए।

8. (a) A induced B as a tenant in respect of Ground Floor of property bearing No. 255, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi comprising of three rooms, one kitchen, two bathrooms and open courtyard in front for 3 years at a monthly rent of Rs. 15,000 per month. Prepare a lease deed.
- (b) On 01-10-2011 Mukesh gave a loan of Rs. 50,000 to Lokesh Dalal for a period of one year. Simultaneously, Lokesh Dalal gave a post dated cheque of Rs. 50,000 in favour of Mukesh towards repayment of the loan amount. On 01-10-2012, Mukesh deposited the said

cheque for Rs. 50,000 with SBI, Delhi University for realisation. However on 07-10-2012 got an intimation from his bank that the said cheque has been dishonoured for reasons 'Funds insufficient'. Mukesh approaches you for sending notice of demand of Rs. 50,000 to Lokesh Dalal. Draft the requisite notice.

(क) A, सम्मति 255, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली के निचले तल जिसमें तीन कमरे एक रसोई, दो स्नानघर एवं सामने खुला आंगन सम्मिलित हैं, तीन साल के लिए 15,000 रु. प्रति महीने के किराए के हिसाब से B को किराएदार के रूप में सम्मिलित किया। एक पट्टा विलेख तैयार कीजिए।

(ख) मुकेश 01-10-2011 को लोकेश दलाल को एक साल के लिए 50,000 रु. उधार देता है। इसके साथ-साथ लोकेश दलाल 50,000 रु. का उत्तरदिनांकित चेक मुकेश के पक्ष में उधार के पुनः भुगतान के लिए देता है। 01-10-2012 को मुकेश 50,000 रु. के चेक के कार्यान्वयन के लिए SBI, दिल्ली विश्वविद्यालय में जमा करता है। जबकि 07-10-2012 को बैंक द्वारा सूचित किया गया कि 'अपर्याप्त धन' के कारण चेक अस्वीकृत हो गया है। मुकेश, 50,000 रु. की माँग सूचना को लोकेश दलाल को भेजने के लिए आपके पास आता है। एक उपयुक्त नोटिस तैयार कीजिए।